न्यायालय परगनाधिकारी, नजीबाबाद

वाद संख्या 37 /2013
मौजा – गढ़मलपुर

धारा 143 जे०ए०एम०एल०आर०एक्ट
परगना– नजीबाबाद

एस०एस०डी० पब्लिक स्कूल समिति गढ़मलपुर द्वारा प्रबन्धक रणवीर सिंह पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी ग्राम गढ़मलपुर परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर

बनाम

उ०प्र० सरकार

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार नजीबाबाद की जांच आख्या/संस्तुति दिनांक 02-03-13 के आधार पर प्रारम्भ हुई. जांच आख्या में उल्लेख किया गया है कि ग्राम गढ़मलपुर परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर की खतौनी 1417फ0 से 1422फ0 के खाता सं0 27 गाटा सं0 218 क्षेत्रफल 0.790 है0 पूर्ण भाग पर खातेदार एस०एस०डी० पब्लिक स्कूल समिति गढ़मलपुर द्वारा प्रबन्धक रणवीर सिंह पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी ग्राम गढ़मलपुर परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर के नाम संक्रमणीय भूमिधरी में अंकित है तथा स्थल पर स्कूल व स्कूल का परिसर है मूल बन्दोबस्त जिल्द चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45 के अनुसार आवेदक की भूमि श्रेणी–1क संक्रमणीय भूमिधर की भूमि है तथा भूमि पर कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, उद्यानीकरण, बागवानी, पशुपालन नही हो रहा है। भूमि पूर्ण रूप से अकृषिक है। अन्त में उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

तहसीलदार नजीबाबाद की जांच आख्या दिनांक 02-03-13 का परिशीलन किया गया। तहसीलदार नजीबाबाद की आख्या दिनांक 02-03-13 के आधार पर ग्राम गढ़मलपुर परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर की खतौनी 1417फ0 से 1422फ0 के खाता सं0 27 गाटा सं0 218 क्षेत्रफल 0.790 है0 पूर्ण भाग को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की एक–एक प्रति तहसीलदार/उपनिबन्धक नजीबाबाद को राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के बाद दाखिल दफ्तर की जाए।

दिनांक : 24/03 –2013

(आशुतोष मोहन अग्निहोत्री)
परगनाधिकारी, नजीबाबाद

न्यायालय परगनाधिकारी नजीबाबाद
वाद नं० T201513160590 धारा 143ZA&LRACT
मौजा गढमलपुर परगना नजीबाबाद
एस०एस०डी० पब्लिक स्कूल सोसाइटी बनाम सरकार
नकल आदेश

न्यायालय परगनाधिकारी नजीबाबाद

वाद संख्याT201513160590 धारा 143जेड०ए०एंड एल०आर०एक्ट

मौजा गढमलपुर परगना नजीबाबाद

एस०एस०डी० पब्लिक स्कूल सोसाईटी गढमलपुर द्वारा प्रबन्धक रणवीर सिंह सुपुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी ग्राम गढमलपुर परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर

बनाम

उ०प्र० सरकार

नकल आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही एस०एस०डी० पब्लिक स्कूल सोसाईटी गढमलपुर द्वारा प्रबन्धक रणवीर सिंह सुपुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी ग्राम गढमलपुर परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार नजीबाबाद की जांच आख्या/संस्तुति दिनांक 12-01-2015 के आधार पर प्रारम्भ हुई. जांच आख्या में उल्लेख किया गया है कि ग्राम गढमलपुर परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर की खतौनी 1417 फ० से 1422फ० के खाता नं० 55 गाटा सं० 219 रकबा 0.169हे० लगान 4.10 रूपये पूर्ण भाग पर आवेदक का नाम संक्रमणीय भूमिधरी में अंकित है तथा स्थल पर भूमि अकृषिक कार्य में प्रयोग हो रही है तथा मौके पर स्कूल बना है। प्रश्नगत भूमि असंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर भूमि है.जो धारा 132 से बाधित नहीं है। उक्त वर्णित भूमि मजूल भूमि,ग्राम समाज की भूमि नहीं है। उक्त वर्णित भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं है। आवेदक की भूमि श्रेणी-1क संक्रमणीय भूमिधर की भूमि है तथा भूमि पर कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, उद्यानीकरण, बागवानी, पशुपालन नहीं हो रहा है। भूमि पूर्ण रूप से अकृषिक है। अन्त में उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

तहसीलदार नजीबाबाद की जांच आख्या दिनांक 12-01-2015का परिशीलन किया गया। तहसीलदार नजीबाबाद की आख्या दिनांक 12-01-2015 के आधार पर आवेदक एस०एस०डी० पब्लिक स्कूल सोसाईटी गढमलपुर द्वारा प्रबन्धक रणवीर सिंह सुपुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी ग्राम गढमलपुर परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर की भूमि स्थित ग्राम गढमलपुर परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर की खतौनी 1417 फ० से 1422फ० के खाता नं० 55 गाटा सं० 219 रकबा 0.169हे० लगान 4.10 रूपये पूर्ण भाग को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार नजीबाबाद /उपनिबन्धक नजीबाबाद को राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के बाद दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक 15-01-2015

(मनोज)
परगनाधिकारी, नजीबाबाद

प्रतिलिपिकार
आवरनायक परगनाधिकारी
नजीबाबाद

70
22-1-15
रणवीर
22-1-15
23-1-15
131
155